D.F.A

कार्यालय–अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
E-Mail ID: nodalofficerddn@gmail.com, Phone/Fax: 0135 2767611

पत्रांक–2288 /FP/UK/ROAD/37612/2018 :देहरादूनः 01 ~~मार्च~~ अप्रैल, 2023.

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक,
भारत सरकार,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय,
25–सुभाष रोड, देहरादून।

विषयः– जनपद देहरादून के विधानसभा क्षेत्र डोईवाला के अन्तर्गत सनगॉव से नाहीकला तक मार्ग के निर्माण हेतु 3.238 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन। **(Online No. FP/UK/ROAD/37612/2018)**

सन्दर्भः– उप महानिरीक्षक वन (के0) , भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय , 25 सुभाष रोड देहरादून का पत्रांक– 8B/U.C.P/06/88/2020/F.C/1201 दिनांक 20.03.2023।

महोदय,

कृपया भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून के उपरोक्त विषयक पत्र का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें भारत सरकार द्वारा आपत्तियों का निराकरण कर आख्या उपलब्ध कराने हेतु लिखा गया था, अधिरोपित शर्तो की अनुपालन आख्या वन संरक्षक, शिवालिक वृत्त के पत्रांक 2209/12–1(1) दिनांक 21.03.2023 (प्रति सलंग्न) के द्वारा बिन्दुवार अनुपालन आख्या इस कार्यालय को प्रेषित की गयी है। बिन्दुवार अनुपालन आख्या निम्नानुसार प्रेषित की जा रही हैः–

क्र0	आपत्ति का विवरण	प्रत्युत्तर
1.	In reply to the point no 3 (b), the certificate given by the State government the aerial distance of the area falls in Eco-Senstive zone Rajaji National Park is not duly signed by the DFO . State Government may submit the aerial distance certificate duly signed by the DFO.	वन संरक्षक द्वारा अवगत कराया गया है कि बिन्दु सं0–1 के क्रम में प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा मुख्य वन संरक्षक, अनुश्रवण, मूल्यांकन, आई0टी0 एवं आधुनिकीकरण, उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक–3201/2क/1/2021 आई0टी0– forest department (computer no-1616) द्वारा निर्गत हवाई दूरी का प्रमाण पत्र आनलाईन पोर्टल के part-1 में अपलोड कर दिया गया है। (संलग्न–1)
2.	In reply to point no 4 details still found incorrect. State Government may correct the details of the trees mentioned at para 4 in part II as they are not matching with the details submit in tree enumeration list. Details of 10-20 dia trees as per the tree enumeration list mentioned in 0-30 cm column in part II	वन संरक्षक द्वारा अवगत कराया गया है कि Part II के बिन्दु सं0–4–(II) में वृक्षों की प्रजाति वार सूचना के अन्तर्गत कुल प्रभावित होने वाले आरक्षित वन एवं ग्राम समाज भूमि तथा नाप खेत में वृक्षों की कुल संख्या–364 है।
3.	बिन्दु क्रम 35 के आगे मार्ग निर्माण का कोई औचित्य नहीं हैं तथा राज्य शासन द्वारा तोक	वन संरक्षक द्वारा अवगत कराया गया है कि बिन्दु क्रम 35 संशोधित प्रस्ताव हेतु मलवा

	कोटला की जनसंख्या प्रत्येक बार अलग–अलग दर्शाई गई है। अतः राज्य सरकार बिन्दु क्रम 35 तक संशोधित प्रस्ताव प्रेषित करेगी तथा इस हेतु संशोधित लैंड शेडयूल, मलवा निस्तारण योजना, एन0पी0वी0 शीट, बार चार्ट, सी0ए0 विवरण, tree enumeration प्रेषित करेगी।	निस्तारण योजना, बार चार्ट, प्रमाण पत्र प्रस्तावक विभाग द्वारा आनलाईन पोर्टल अपलोड कर दिया गया है। प्रभाग द्वारा लैंड शेडयूल, एन0पी0वी0 की वर्तमान दरों पर आंगणन तथा सी0ए0 योजना व tree enumeration list आनलाईन पोर्टल पर अपलोड कर दिया गया है।

भवदीय,

(एस0एस0 रसाईली)
अपर प्रमुख वन संरक्षक
एवं नोडल अधिकारी

संख्या :– २२४४ / FP/UK/ROAD/37612/2018 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. वन संरक्षक, शिवालिक वृत्त, देहरादून उत्तराखण्ड।
2. प्रभागीय वनाधिकारी, देहरादून वन प्रभाग, देहरादून।

01/5/23

(एस0एस0 रसाईली)
अपर प्रमुख वन संरक्षक
एवं नोडल अधिकारी